

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2020

जयपुर, दिनांक: 12/03/2020

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के वर्ष 2023-24 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 02.06.2023 में अंकित श्री राम रतन मीणा पुत्र श्री मोडू लाल मीणा, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अधिकारी के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन1 शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website: www.finance.rajasthan.gov.in.email:

dsfexcise@rajasthan.gov.in